(6)

1

न्यायालय विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज. जयपुर।
(हाल कार्यालय राजस्थान आवासंन मण्डल, जयपुर)

क्रमांक :– ओ.एस.डी. / नविवि / 19 / 270 दिनांक :–26-8-2019

–: अवार्ड :–

विषय :– केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 यथा संशोधित 1984 की धारा 11 सपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 24(क) के तहत राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय योजना के अन्तर्गत ग्राम देवाली (गोवर्धन विलास तहसील गिर्वा) जिला उदयपुर में कुल रकबा 21.75 हैक्टेयर का अवार्ड जारी करने बाबत।

संदर्भ :– अधिसूचना क्रमांक प.7(86)नविवि / 3 / 2007 जयपुर दिनांक 04.10.2013

राजस्थान आवासन मण्डल हेतु सार्वजनिक हित में आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि अवाप्ति की अधिसूचना ग्राम देवाली (गोवर्धन विलास तहसील गिर्वा) जिला उदयपुर में कुल रकबा 21.75 हैक्टेयर के लिए अन्तर्गत धारा 4(1) राज्य सरकार द्वारा दिनांक 04.10.2013 को जारी की गयी जिसमें भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 4(2) के तहत विशेषाधिकारी नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, हाल कार्यालय राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर को भूमि अधिग्रहण हेतु अधिकृत किया गया। उक्त अधिसूचना का दिनांक 15.10.2013 को राजस्थान राज–पत्र के विशेषांक में प्रकाशन कराया गया। इसी प्रकार अधिसूचना का दो समाचार पत्रों में यथा "राजस्थान पत्रिका" एवं "दैनिक राष्ट्रदूत" उदयपुर संस्करण में दिनांक 19.09.2014 को प्रकाशन करवाया गया। सार्वजनिक हित में व्यापक प्रचार–प्रसार की दृष्टि से अधिसूचना के पब्लिक नोटिस दिनांक 02.03.2015 को सम्बन्धित को जारी कर जरिए आवासीय अभियन्ता तामील करवाए गये जिनकी अन्तिम तामीली की दिनांक 21.05.2015 अंकित की गयी है। इस प्रकार धारा 4(1) की अंतिम प्रकाशन की 21.05.2015 निश्चित की गयी है।

प्रकरण में धारा 4(1) के प्रकाशन के पश्चात् प्राप्त सभी आपत्तियों का निस्तारण कर राज्य सरकार को धारा 5ए के तहत मौका रिपोर्ट दिनांक 26.04.2016 को प्रेषित की गई जिसमें सम्पूर्ण भूमि कुल रकबा 21.75 हैक्टेयर की धारा 6 की कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित किया गया। राज्य सरकार द्वारा धारा 6 की अधिसूचना दिनांक 19.05.2016 को कुल रकबा 21.75 हैक्टेयर की जारी की गयी थी। अधिसूचना का राजस्थान के राजपत्र के विशेषांक में दिनांक 24.05.2016 को प्रकाशन करवाया गया तथा दो स्थानीय समाचार पत्रों "राजस्थान पत्रिका" व "दैनिक राष्ट्रदूत" उदयपुर संस्करण में दिनांक 29.07.2017 को प्रकाशन करवाया गया। पब्लिक नोटिस अन्तर्गत धारा 6(2) दिनांक 23.08.2017 को जारी कर जरिए आवासीय अभियंता तामील करवाये गये जिसके अनुसार अन्तिम तामीली की दिनांक 07.09.2017 अंकित की गई। अवाप्ति प्रक्रिया में आगे व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु सार्वजनिक हित में धारा 9(1) के पब्लिक नोटिस दिनांक 06.12.2017 एवं धारा 9(3) के व्यक्तिगत नोटिस दिनांक 19.11.2018 जारी कर जरिए आवासीय अभियंता तामील करवाये गये जिसमें खातेदारों से राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 27.10.05 के क्रम में विकसित भूखण्ड लेने का विकल्प भी प्रस्तुत किया जा सकता है, बाबत सूचित किया गया। धारा 9(3) के व्यक्तिगत नोटिस के क्रम में ग्राम, देवाली (गोवर्धन विलास तहसील गिर्वा) जिला उदयपुर में किसी भी खातेदार ने 25 प्रतिशत विकसित हेतु अपना विकल्प प्रस्तुत नहीं किया।

धारा 4 व 6 की अधिसूचना में कोई अन्तर नहीं होने के कारण धारा 6 में अवाप्त भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :-

ग्राम देवाली (गोवर्धन विलास तहसील गिर्वा) जिला उदयपुर में कुल रकबा 21.75 हैक्टेयर में अवाप्ताधीन भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	भूमि का वर्ग	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	किस्म जमीन	खातेदार का नाम		विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बिलानाम सरकार (अ)	803	0.8500	पहाड़	राजकीय बिलानाम गैर काबिल काश्त	0.8500	काश्तकार द्वारा राज्य सरकार के विरूद्ध स्टे
		813	0.6200	पहाड़	राजकीय बिलानाम गैर काबिल काश्त	0.6200	
		814	0.0100	पहाड़	राजकीय बिलानाम गैर काबिल काश्त	0.0100	
		815	0.0500	पहाड़	राजकीय बिलानाम गैर काबिल काश्त	0.0500	
		818	0.6200	भटवेड	राजकीय बिलानाम गैर काबिल काश्त	0.6200	महादेव जी परिसर
		820	0.8600	भटवेड	राजकीय बिलानाम गैर काबिल काश्त	0.8600	
		821 (रास्ता)	0.7400	का0का0	बिलानाम काबिल काश्त	0.7400	
		870	0.0750	भटवेड	राजकीय बिलानाम गैर काबिल काश्त	0.0750	नाला व एनकिट
		876	0.0400	भटवेड	राजकीय बिलानाम गैर काबिल काश्त	0.0400	नाला व एनकिट
		877	0.1200	भटवेड	राजकीय बिलानाम गैर काबिल काश्त	0.1200	नाला व एनकिट
		878	0.0700	भटवेड	राजकीय बिलानाम गैर काबिल काश्त	0.0700	नाला व एनकिट
		879	0.2200	भटवेड	राजकीय बिलानाम गैर काबिल काश्त	0.2200	
		887	0.1200	पहाड़	राजकीय बिलानाम गैर काबिल काश्त	0.1200	
		1052 / 816	0.2500	पहाड़	राजकीय बिलानाम गैर काबिल काश्त	0.2500	
		1084 / 813	0.3500	पहाड़	राजकीय बिलानाम गैर काबिल काश्त	0.3500	
बिलानाम सरकार योग (अ)		15	4.9950		राजकीय बिलानाम गैर काबिल काश्त	4.9950	
02	बडबडिया महादेव मन्दिर की भूमि (ब)	817 मकान	0.0050	मकान	महादेवजी बर बडीया स्थान देह खातेदार	0.0050	मकान
		819 छतरी	0.0100	छतरी	महादेवजी बर बडीया स्थान देह खातेदार	0.0100	छतरी
		869 बीड	1.2900	का0बी0	महादेवजी बर बडीया स्थान देह खातेदार	1.2900	सार्वजनिक रास्ता व नाला, एनकिट

		871	0.0450	छतरी		महादेवजी बर बडीया स्थान देह खातेदार	0.0450	छतरी
		872	0.0200	छतरी		महादेवजी बर बडीया स्थान देह खातेदार	0.0200	छतरी
		873	0.0250	छतरी		महादेवजी बर बडीया स्थान देह खातेदार	0.0250	छतरी
		874 कुआ	0.0050	छतरी		महादेवजी बर बडीया स्थान देह खातेदार	0.0050	छतरी
		875 मकान	0.0300	छतरी		महादेवजी बर बडीया स्थान देह खातेदार	0.0300	मकान
		880	0.2150	का0बी0		महादेवजी बर बडीया स्थान देह खातेदार	0.2150	
		881	1.2200	का.बी.	0.7200	महादेवजी बर बडीया स्थान देह खातेदार	1.2200	
				भू.का. बी.	0.5000			
		882	0.3600	का0बी0		महादेवजी बर बडीया स्थान देह खातेदार	0.3600	
		883	0.0050	भू0का0बी0		महादेवजी बर बडीया स्थान देह खातेदार	0.0050	
		884	1.0300	का0बी0	0.7000	महादेवजी बर बडीया स्थान देह खातेदार	1.0300	
				भू0का0 बी0	0.3300			
		885	0.0600	भू0का0बी0		महादेवजी बर बडीया स्थान देह खातेदार	0.0600	
		886	0.0300	भू0का0बी0		महादेवजी बर बडीया स्थान देह खातेदार	0.0300	
योग बडबडिया महादेवजी की भूमि (ब)		15	**4.3500**				**4.3500**	
3	नगर विकास प्रन्यास (स)	804	0.0050	भू0 बी0		नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर	0.0050	यु.आई.टी. के खाते दर्ज होकर मौके पर सड़कों का निर्माण हो चुका है।
		805	0.0350	भू0 बी0		नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर	0.0350	**do**
		806	0.0600	भू0 बी0		नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर	0.0600	**do**
		807	0.0650	भू0 बी0		नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर	0.0650	**do**
		808	0.0900	भू0 बी0		नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर	0.0900	**do**
		809	0.2700	भू0 बी0		नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर	0.2700	**do**
		831	0.8500	का0 क0		नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर	0.8500	**do**
		835	0.5100	का0 क0		नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर	0.5100	**do**
		867	2.0000	का0 क0		नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर	2.0000	**do**
		868	0.4600	का0 क0		नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर	0.4600	**do**
		853	0.2050	का0 क0		नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर	0.2050	**do**

		854	0.0850	का0 क0	नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर	0.0850	do
		855	0.2200	का0 क0	नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर	0.2200	do
		856	1.3800	का0 क0	नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर	1.3800	do
		1091 / 831	1.0300	का0 क0	नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर	1.0300	do
	योग नगर विकास प्रन्यास (स)	15	7.2650			7.2650	
04	खातेदारी कृषि भूमि (द)	846	0.0200	भू0 बी0	केशी बेवा राम लाल 1/2 वगेरा	0.0200	
		847	0.0400	भू0 बी0	केशी बेवा राम लाल 1/2 वगेरा	0.0400	
		848	0.1950	भू0 बी0	केशी बेवा राम लाल 1/2 वगेरा	0.1950	
		849	0.1850		केशी बेवा राम लाल 1/2 वगेरा	0.1850	
		845 कुवा	0.0600	भू0 बी0	केशी बेवा राम लाल 1/4 वगेरा	0.0600	
		838	0.2250	का0 क0	जगदीश वगेरा पिता दुधा वगेरा	0.2250	
		842	0.2000	का0 क0	जगदीश वगेरा पिता दुधा वगेरा	0.2000	
		843	0.0750	का0 क0	जगदीश वगेरा पिता दुधा वगेरा	0,0750	
		837	0.2150	का0 क0	जगदीश वगेरा पिता दुधा 1110/2150	0.2150	
		857	0.0550	का0 क0	नारायण वगेरा पिता रामा 1/3 वगेरा	0.0550	
		858	0.1900	का0 क0	नारायण वगेरा पिता रामा 1/3 वगेरा	0.1900	
		859	0.0700	का0 क0	नारायण वगेरा पिता रामा 1/3 वगेरा	0.0700	
		860	0.0150	का0 क0	नारायण वगेरा पिता रामा 1/3 वगेरा	0.0150	
		861	0.0550	का0 क0	नारायण वगेरा पिता रामा 1/3 वगेरा	0.0550	
		862 कुवा	0.0150	कुंआ	नारायण वगेरा पिता रामा 1/3 वगेरा	0.0150	
		863	0.0450	का0 क0	नारायण वगेरा पिता रामा 1/3 वगेरा	0.0450	
		864	0.2200	का0 क0	नारायण वगेरा पिता रामा 1/3 वगेरा	0.2200	
		865	0.1500	का0 क0	नारायण वगेरा पिता रामा 1/3 वगेरा	0.1500	
		866 बीड	1.3300	का0 क0	नारायण वगेरा पिता रामा 1/3 वगेरा	1.3300	
		810	0.2750	भू0 बी0	भैरू लाल पिता नंदा गुर्जर सा. ह. देह	0.2750	यु.आई.टी. द्वारा धारा 90बी के अन्तर्गत

							कार्यवाही विचाराधीन
		811	0.1900	भू0 बी0	भैरू लाल पिता नंदा गुर्जर सा	0.1900	do
		812	0.1000	भू0 बी0	भैरू लाल पिता नंदा गुर्जर सा	0.1000	
		836	0.1200	का0 क0	सुआ लाल पिता किशन लाला गुर्जर	0.1200	यु.आई.टी. द्वारा धारा 90बी के अन्तर्गत स्वीकृत प्लान अनुसार कार्यवाही विचाराधीन
		839	0.2000	का0 क0	सुआ लाल पिता किशन लाला गुर्जर	0.2000	do
		840	0.0600	का0 क0	सुआ लाल पिता किशन लाला गुर्जर	0.0600	do
		841	0.2350	का0 क0	सुआ लाल पिता किशन लाला गुर्जर	0.2350	do
		844	0.0800	का0 क0	सुआ लाल पिता किशन लाला गुर्जर	0.0800	do
		852	0.2950	का0 क0	सुनिल चुध वगेरा	0.2950	do
		851	0.2150	का0 क0	सुनिल चुध वगेरा	0.2150	do
		850	0.0100	भू0 बी0	सुनिल चुध वगेरा	0.0100	do
योग खातेदारी कृषि भूमि (द)		30	5.1400			5.1400	do

[illegible] भूमि के अन्तर्गत धारा 9(1) के पब्लिक नोटिस एवं खातेदारों को व्यक्तिगत नोटिस [illegible] 9(3) में जारी किये जिसके सन्दर्भ में निम्नलिखित खसरो के अन्तर्गत हितधारियो ने आपत्तियां [illegible] की जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :-

[illegible] नं 858 से 865 में नारायण गुर्जर व उंकार गुर्जर ने प्रार्थना की भूमि में मालिकाना [illegible] हमारा है जिसमें दो परिवार पल रहे है, आस-पास में कॉलोनी बस चुकी है श्मशानघाट [illegible] की सम्पति महादेवजी का मंन्दिर अवस्थित है। अवाप्ति के कारण आजीविका का [illegible] हो जाने से परिवार तनाव में है। अतः उक्त भूमि का अवाप्ति से मुक्त करने का श्रम करे।

[illegible] में दस्तावेजो का अवलोकन किया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में [illegible] प्रस्तुत नहीं किये, वैसे भी सरकार द्वारा अवाप्तशुदा भूमि का नियमानुसार मुआवजा [illegible] जिससे परिवार का [illegible] किया जा सकता है तथा जहां तक अवाप्ति से [illegible] किये जाने का प्रश्न है जो सिर्फ राज्य सरकार को ही इसकी अधिकारिता प्राप्त है। अत आपत्ति सारहीन है।

[illegible] नं 838, 837, 842, 842 में जगदीश, भगवान, भवरलाल, नारायणलाल, श्यामलाल गुर्जर [illegible] पॉच भाईयो के नाम दर्ज है तथा कृषि कार्य कर अपना जीवन यापन परिवार के दस-दस

[illegible] है। इमारत जीवन यापन का एक मात्र साधन होने के कारण अवाप्ति से मुक्त करने [illegible]

[illegible] दस्तावेजो का अवलोकन किया गया है। पक्षों द्वारा अपने कथन के समर्थन में [illegible] दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये, वैसे भी सरकार द्वारा अवाप्तशुदा भूमि का नियमानुसार मुआवजा [illegible] जाता है। जिससे परिवार का [illegible] किया जा सकता है तथा जहां तक अवाप्ति से मुक्त किये जाने का प्रश्न है वो सिर्फ राज्य सरकार को ही इसकी अधिकारिता प्राप्त है। अत आपत्ति सारहीन है।

आवासीय अभियन्ता राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड–प्रथम उदयपुर ने अपने पत्रांक 371 दिनांक 28.08.2018 को सूचित किया की अवाप्ताधीन भूमि मे माननीय उच्च न्यायालय मे विचाराधीन [illegible] द्वारा स्टे आदेश जारी किये हुए है तथा पत्रांक 793 दिनांक 18.09.2019 द्वारा [illegible] लम्बन की वजह से अवार्ड की कार्यवाही प्रभावित नही होती है।

रिट याचिकाओ का विवरण निम्न प्रकार से है–

क्र. स.	याचिका स.	अपील का विवरण	प्रभावित खसरें
1	5793 / 2016	मीना जैन बनाम स्टेट एव अन्य	804 से 809
2	7072 / 2016	कालुलाल जैन बनाम स्टेट एवं अन्य	867, 868
3	7023 / 2016	एलेक्स बिल्ड स्टेट बनाम स्टेट एवं अन्य	835
4	7024 / 2016	कालुलाल एव अन्य बनाम स्टेट एवं अन्य	810, 811
5	7025 / 2016	अरहर बिल्ड स्टेट प्रा.लि. एवं अन्य बनाम स्टेट एवं अन्य	853, 854, 856, 1091 / 831
6	[illegible] / 2016	गोविंद गुर्जर एवं अन्य बनाम स्टेट एव अन्य	836, 839, 840, 841, 844
7	7843 / 16	कालुलाल बनाम स्टेट एवं अन्य	848 से 852

भूमि का मुआवजा निर्धारित करने हेतु सम्बन्धित आवासीय अभियंता से धारा 4(1) की अधिसूचना की दिनांक 04.10.2013 को प्रचलित भूमि की डी.एल.सी. दरें की प्रमाणित प्रति, जमाबन्दी, सर्वे रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस व तकमीना मंगवाने हेतु दिनांक 19.05.2015 को सूचित किया गया। जिसके जवाब में आवासीय अभियन्ता ने दिनांक 29.01.2016 को डीएलसी दरे मौका रिपोर्ट, राजस्व रिकार्ड व तकमीना प्रस्तुत किया गया लेकिन वास्तव में तकमीना उक्त पत्र के साथ संलग्न नहीं कियाा गया साथ ही अवार्ड निर्धारण बाबत् राज्य में लागू नवीन अधिनियम की धारा 23 के तहत् किये जाने हेतु धारा 4(1) की अधिसूचना दिनांक 04.10.2013 से पूर्वर्ती तीन वर्षो के दौरान ग्राम देवाली (गोवर्धन विलास तहसील गिर्वा) जिला उदयपुर तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्र में अवाप्ताधीन भूमि के समकक्ष भूमि के लिए रजिस्ट्रर्ड विक्रय विलेखों के आधार पर औसत विक्रय मूल्य क्या रहा की सूचना आवासीय अभियन्ता व उप पंजीयक गिर्वा, उदयपुर से पत्र दिनांक 24.01.2018, 07.05.2018, 03.07.2018 को चाही गई। जिसके प्रत्युत्तर में उप पंजीयक प्रथम, उदयपुर द्वारा दिनांक 06.06.2018 को पिछले 2012–13 व 2013–14 की डी.एल.सी. दरें प्रस्तुत की इस प्रकरण में आवासीय अभियन्ता ने दिनांक 28.08.2018 को उप पंजीयक की दरें प्रस्तुत की।

12

उप पंजीयक-प्रथम उदयपुर से प्राप्त डी.एल.सी. दरे (औसत विक्रय मूल्य वर्ष 2013-14) निम्न प्रकार से है।

पंजीबद्ध दस्तावेजों के अनुसार जो कि (डी.एल.सी. दरो के अनुसार) न्यूनतम एवं अधिकतम प्रतिफल राशि प्रति बीघा व आवासीय प्रति वर्गफीट

ग्राम देवाली (गोवर्धन विलास तहसील गिर्वा) जिला उदयपुर

क्र. सं.	वर्ष	ग्राम देवाली में कृषि भूमि दर प्रति बीघा असिंचित (लाखों में)	ग्राम देवाली में आवासीय दर वर्गफीट
		मुख्य सड़क आबादी से दूर	मुख्य सड़क आबादी से दूर
1.	2011-12	10.11	278
2.	2012-13	11.13	306
3.	2013-14	12.81	352

वर्ष 2013-14 की डी.एल.सी. (कृषि) दरे उप पंजीयक-प्रथम उदयपुर के अनुसार निम्न प्रकार से है।

क्र. सं.	वर्ष	ग्राम देवाली में कृषि भूमि दर प्रति बीघा असिंचित (लाखों में)	ग्राम देवाली में आवासीय दर वर्गफीट
		मुख्य सड़क आबादी से दूर	मुख्य सड़क आबादी से दूर
1.	,2013-14	12.81	352

नोटः कार्यालय उप पंजीयक उदयपुर द्वारा अपने पत्रांक 2010 दिनांक 06.06.2018 को डीएलसी दरें 2012-13 व 2013-14 की प्रेषित की जिसमें पूर्व में 10 प्रतिशत वृद्धि का उल्लेख किया गया है, इसी आधार पर 2011-12 की दरें 10 प्रतिशत कम का अंकन सारणी में किया जाकर दरें निश्चित की गई है।

दर का निर्धारण :- प्राप्त सूचना के विवरण डीएलसी से न्यूनतम/अधिकतम दरों का अवलोकन किया गया जो कि सम्बन्धित वर्ष की डीएलसी दरो से कम होने के कारण मुआवजा निर्धारण का आधार सम्बन्धित वर्ष 2013-14 की डीएलसी दर माना जाना उचित प्रतीत होता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार तीन वर्षो का औसत विक्रय मूल्य ओर डी.एल.सी. दर में जो अधिक होगा मुआवजा स्वरूप वह देय होगा। अतः मेरी राय में अवाप्ताधीन सम्पूर्ण कृषि भूमि में अधिकतर असिंचित अर्थात का.क. भटवेड, पहाड होने के कारण भूमि की आवासीय योजना हेतु उपयुक्तता एवं भविष्य में होने वाले विकास तथा पौटेन्शियलटी को ध्यान में रखते हुये भू-अर्जन अधिनियम की धारा 26 में वर्णित दिग्दर्शकों के अनुसरण में तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उक्त समस्त अवाप्ताधीन भूमि ग्राम देवाली (गोवर्धन विलास तहसील गिर्वा) जिला उदयपुर का उपयोग आवासीय प्रयोजनार्थ किया जायेगा। अतः निम्नानुसार दर निर्धारण करना उचित समझता हूं।

1. **ग्राम देवाली :- कृषि भूमि दर प्रति बीघा असिंचित (लाखों में) मुख्य सड़क आबादी से दूर 12.81 लाख रूपये अर्थात 79,123 रूपये प्रति एयर। (बीघा में 16.189 एयर मानते हुए दर का निर्धारण किया गया)**

13

2 आवासीय दर धारा 4(1) की अधिसूचना जारी होने से पूर्व यदि किसी अवाप्त शुदा खसरा नम्बर के अन्तर्गत किसी सक्षम अधिकारी द्वारा आबादी क्षेत्र मानकर कोई पुनग्रहण आदेश उक्त भू-उपयोग परिवर्तन बाबत् किसी कास्तकार/भूखण्डधारी के पक्ष में जारी कर दिया है तो उस भूमि का वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर भूखण्डधारी को भूमि की आवासीय दर ग्राम देवाली के लिये 352/- रूपये प्रति वर्गफीट की दर से मुआवजा राशि की गणना की जा सकेगी।

आवासीय अभियन्ता राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड प्रथम उदयपुर ने अपने पत्रांक 118 दिनांक 07.06.2019 से अवगत करवाया है कि ग्राम देवाली (गोवर्धन विलास तहसील गिर्वा) जिला उदयपुर अवाप्ताधीन भूमि ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत मुआवजा निर्धारण करते समय अनुसूची प्रथम के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र की दशा में बाजार मूल्य कारक 1.25 से गुणित किया जावेगा। इस दशा में जो निर्धारण उपरोक्तानुसार किया गया है उसी अनुसार मुआवजा देय है। उपरोक्त के अलावा शत प्रतिशत तोषण (Solatium) देय होगा।

संरचनाओं (स्थाई व अस्थाई निर्माण) का मूल्यांकन आवासीय अभियन्ता द्वारा मौके पर स्थित तामीरोतो/संरचनाओं का सर्वे किया जाकर प्रचलित बी.एस.आर. की दरों के आधार पर मूल्याकन करते हुए तय किया जाता है। जबकि आवासीय अभियन्ता द्वारा प्रेषित सर्वे रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह सर्वे रिपोर्ट पूर्ण नहीं है। अतः संरचनाओ का भुगतान सम्बन्धित वर्ष की प्रचलित बी.एस.आर. से वास्तविक गणना के आधार पर किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में उक्त सूचना के अभाव में यह तय नही किया जा सकता कि किस खातेदार को कितना मुआवजा देय है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 27.10.05 के अनुसार विकसित भूमि प्राप्त करने वाले खातेदारों को यथास्थान भूमि नहीं दिये जाने की स्थिति में ही केवल निर्मित भवनों का मुआवजा देय होगा। राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा खातेदारो को भूमि यथास्थान दी जा रही है अथवा नही, बाबत् कोई सूचना प्रेषित नही की गई है। इसलिए यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि किस खातेदार को निर्मित भवन का मुआवजा देय होगा और किस को नही। अतः आवासन मण्डल अपने स्तर से तामीरातो के स्वामियो का निर्धारण कर, खातेदारो को यथास्थान भूमि नही दिये जाने पर ही मुआवजा का भुगतान करेगा।

मुआवजे की गणना निम्नानुसार है :-

ग्राम देवाली (गोवर्धन विलास तहसील गिर्वा) जिला उदयपुर

क्र. सं.	वाद सं.	खातेदार का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा हे.	नगद मुआवजा
1	7(86)/3/01	राजकीय बिलानाम गैर काबिल काश्त	803	0.8500	राजकीय भूमि होने के कारण मुआवजा राशि की गणना नही की जा रही है।
		राजकीय बिलानाम गैर काबिल काश्त	813	0.6200	
		राजकीय बिलानाम गैर काबिल काश्त	814	0.0100	
		राजकीय बिलानाम गैर काबिल काश्त	815	0.0500	

		राजकीय बिलानाम गैर काबिल काश्त	818	0.6200		
		राजकीय बिलानाम गैर काबिल काश्त	820	0.8600		
		बिलानाम काबिल काश्त	821 (रास्ता)	0.7400		
		राजकीय बिलानाम गैर काबिल काश्त	870	0.0750		
		राजकीय बिलानाम गैर काबिल काश्त	876	0.0400		
		राजकीय बिलानाम गैर काबिल काश्त	877	0.1200		
		राजकीय बिलानाम गैर काबिल काश्त	878	0.0700		
		राजकीय बिलानाम गैर काबिल काश्त	879	0.2200		
		राजकीय बिलानाम गैर काबिल काश्त	887	0.1200		
		राजकीय बिलानाम गैर काबिल काश्त	1052 / 816	0.2500		
		राजकीय बिलानाम गैर काबिल काश्त	1084 / 813	0.3500		
2.	7(86) / 3 / 02	महादेवजी बर बडीया स्थान देह खातेदार	817 मकान	0.0050	79,123 प्रति एयर भूमि कीमत 98,904 गुणित 1.25	4,30,23,240
		महादेवजी बर बडीया स्थान देह खातेदार	819 छतरी	0.0100	तकमीना	मण्डल के अनुसार
		महादेवजी बर बडीया स्थान देह खातेदार	869 बीड	1.2900	योग अ	4,30,23,240
		महादेवजी बर बडीया स्थान देह खातेदार	871	0.0450	100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	4,30,23,240
		महादेवजी बर बडीया स्थान देह खातेदार	872	0.0200	योग अ+ब	8,60,46,480
		महादेवजी बर बडीया स्थान देह खातेदार	873	0.0250		
		महादेवजी बर बडीया स्थान देह खातेदार	874 कुंआ	0.0050		
		महादेवजी बर बडीया स्थान देह खातेदार	875 मकान	0.0300		
		महादेवजी बर बडीया स्थान देह खातेदार	880	0.2150		
		महादेवजी बर बडीया स्थान देह खातेदार	881	1.2200		
		महादेवजी बर बडीया स्थान देह खातेदार	882	0.3600		
		महादेवजी बर बडीया स्थान देह, खातेदार	883	0.0050		
		महादेवजी बर बडीया स्थान देह खातेदार	884	1.0300		
		महादेवजी बर बडीया स्थान देह खातेदार	885	0.0600		
		महादेवजी बर बडीया स्थान देह खातेदार	886	0.0300		
3.	7(86)/3/03	नगर विकास प्रन्यास,	804	0.0050	प्रकरण में भूमि का रूपान्तरण	

		उदयपुर				
		नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर	805	0.0350	होने के कारण भूमि नगर विकास न्यास में समाहित हो चुकी है लेकिन मुआवजे की गणना पट्टो की माप उपलब्ध नहीं होने के कारण नहीं की जा रही। आवासीय दर धारा 4(1) की अधिसूचना जारी होने से पूर्व यदि किसी अवाप्त शुदा खसरा नम्बर के अन्तर्गत किसी सक्षम अधिकारी द्वारा आबादी क्षेत्र मानकर कोई पुनग्रर्हण आदेश उक्त भू–उपयोग परिवर्तन बाबत् किसी कारतकार/भूखण्डधारी के पक्ष में जारी कर दिया है तो उस भूमि का वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर भूखण्डधारी को भूमि की आवासीय दर ग्राम देवाली के लिये 352/– रूपये प्रति वर्गफीट की दर से मुआवजा राशि की गणना मण्डल स्तर पर की जा सकेंगी। खसरा नं. 831 व 855 को छोड़कर सभी खसरो में स्थगन/रिट याचिका संख्या 5793/2016, 7022/2016, 7023/2016, 7025/2016 विचाराधीन होने के कारण मुआवजा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अध्यधीन रहेगा।	
		नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर	806	0.0600		
		नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर	807	0.0650		
		नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर	808	0.0900		
		नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर	809	0.2700		
		नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर	831	0.8500		
		नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर	835	0.5100		
		नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर	867	2.0000		
		नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर	868	0.4600		
		नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर	853	0.2050		
		नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर	854	0.0850		
		नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर	855	0.2200		
		नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर	856	1.3800		
		नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर	1091/831	1.0300		
4.	7(86)/3/04	केशी बेवा राम लाल 1/2 वगेरा	846	0.0200	79,123 प्रति एयर भूमि कीमत 98,904 गुणित 1.25	1,97,808
					तकमीना	मण्डल अनुसार
					योग अ	1,97,808
					100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	1,97,808
					योग अ+ब	3,95,616
		केशी बेवा राम लाल 1/2 वगेरा	847	0.0400	79,123 प्रति एयर भूमि कीमत 98,904 गुणित 1.25	3,95,616
					तकमीना	मण्डल अनुसार
					योग अ	3,95,616

					100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	3,95,616
					योग अ+ब	7,91,232
		केशी बेवा राम लाल 1/2 वगेरा	848	0.1950	79,123 प्रति एयर भूमि कीमत 98,904 गुणित 1.25	19,28,628
					तकमीना	मण्डल अनुसार
					योग अ	19,28,628
					100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	19,28,628
					योग अ+ब	38,57,256
					खसरा नं. 848 में स्थगन/रिट याचिका संख्या 7843/16 विचाराधीन होने के कारण मुआवजा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अध्यधीन रहेगा।	
		केशी बेवा राम लाल 1/2 वगेरा	849	0.1850	79,123 प्रति एयर भूमि कीमत 98,904 गुणित 1.25	18,29,724
					तकमीना	मण्डल अनुसार
					योग अ	18,29,724
					100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	18,29,724
					योग अ+ब	36,59,448
					खसरा नं. 849 में स्थगन/रिट याचिका संख्या 7843/16 विचाराधीन होने के कारण मुआवजा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अध्यधीन रहेगा।	
		केशी बेवा राम लाल 1/4 वगेरा	845 कुवा	0.0600	79,123 प्रति एयर भूमि कीमत 98,904 गुणित 1.25	5,93,424
					तकमीना	मण्डल अनुसार
					योग अ	5,93,424
					100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	5,93,424
					योग अ+ब	11,86,848
		जगदीश वगेरा पिता दुधा वगेरा	838	0.2250	79,123 प्रति एयर भूमि कीमत	22,25,340

			98,904 गुणित 1.25	
			तकमीना	मण्डल अनुसार
			योग अ	22,25,340
			100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	22,25,340
			योग अ+ब	**44,50,680**
जगदीश वगेरा पिता दुधा वगेरा	842	0.2000	79,123 प्रति एयर भूमि कीमत 98,904 गुणित 1.25	19,78,080
			तकमीना	मण्डल अनुसार
			योग अ	19,78,080
			100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	19,78,080
			योग अ+ब	**39,56,160**
जगदीश वगेरा पिता दुधा वगेरा	843	0.0750	79,123 प्रति एयर भूमि कीमत 98,904 गुणित 1.25	7,41,780
			तकमीना	मण्डल अनुसार
			योग अ	7,41,780
			100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	7,41,780
			योग अ+ब	**14,83,560**
जगदीश वगेरा पिता दुधा 1110/2150	837	0.2150	79,123 प्रति एयर भूमि कीमत 98,904 गुणित 1.25	21,26,436
			तकमीना	मण्डल अनुसार
			योग अ	21,26,436
			100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	21,26,436
			योग अ+ब	**42,52,872**
नारायण वगेरा पिता रामा 1/3 वगेरा	857	0.0550	79,123 प्रति एयर भूमि कीमत 98,904 गुणित 1.25	5,43,972
			तकमीना	मण्डल अनुसार
			योग अ	5,43,972

			100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	5,43,972
			योग अ+ब	**10,87,944**
नारायण वगेरा पिता रामा 1/3 वगेरा	858	0.1900	79,123 प्रति एयर भूमि कीमत 98,904 गुणित 1.25	18,79,176
			तकमीना	**मण्डल अनुसार**
			योग अ	18,79,176
			100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	18,79,176
			योग अ+ब	**37,58,352**
नारायण वगेरा पिता रामा 1/3 वगेरा	859	0.0700	79,123 प्रति एयर भूमि कीमत 98,904 गुणित 1.25	6,92,328
			तकमीना	**मण्डल अनुसार**
			योग अ	6,92,328
			100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	6,92,328
			योग अ+ब	**13,84,656**
नारायण वगेरा पिता रामा 1/3 वगेरा	860	0.0150	79,123 प्रति एयर भूमि कीमत 98,904 गुणित 1.25	1,48,356
			तकमीना	**मण्डल अनुसार**
			योग अ	1,48,356
			100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	1,48,356
			योग अ+ब	**2,96,712**
नारायण वगेरा पिता रामा 1/3 वगेरा	861	0.0550	79,123 प्रति एयर भूमि कीमत 98,904 गुणित 1.25	5,43,972
			तकमीना	**मण्डल अनुसार**
			योग अ	5,43,972
			100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	5,43,972
			योग अ+ब	**10,87,944**
नारायण वगेरा पिता रामा	862	0.0150	79,123	1,48,356

1/3 वगेरा	कुआ		प्रति एयर भूमि कीमत 98,904 गुणित 1.25	
			तकमीना	मण्डल अनुसार
			योग अ	1,48,356
			100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	1,48,356
			योग अ+ब	2,96,712
नारायण वगेरा पिता रामा 1/3 वगेरा	863	0.0450	79,123 प्रति एयर भूमि कीमत 98,904 गुणित 1.25	4,45,068
			तकमीना	मण्डल अनुसार
			योग अ	4,45,068
			100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	4,45,068
			योग अ+ब	8,90,136
नारायण वगेरा पिता रामा 1/3 वगेरा	864	0.2200	79,123 प्रति एयर भूमि कीमत 98,904 गुणित 1.25	21,75,888
			तकमीना	मण्डल अनुसार
			योग अ	21,75,888
			100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	21,75,888
			योग अ+ब	43,51,776
नारायण वगेरा पिता रामा 1/3 वगेरा	865	0.1500	79,123 प्रति एयर भूमि कीमत 98,904 गुणित 1.25	14,83,560
			तकमीना	मण्डल अनुसार
			योग अ	14,83,560
			100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	14,83,560
			योग अ+ब	29,67,120
नारायण वगेरा पिता रामा 1/3 वगेरा	866 बीड	1.3300	79,123 प्रति एयर भूमि कीमत 98,904 गुणित 1.25	1,31,54,232
			तकमीना	मण्डल अनुसार
			योग अ	1,31,54,232

					100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	1,31,54,232
					योग अ+ब	2,63,08,464
		भैरू लाल पिता नंदा गुर्जर सा ह देह	810	0.2750	79,123 प्रति एयर भूमि कीमत 98,904 गुणित 1.25	27,19,860
					तकमीना	मण्डल अनुसार
					योग अ	27,19,860
					100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	27,19,860
					योग अ+ब	54,39,720
					खसरा नं. 810 में स्थगन/रिट याचिका संख्या 7024/2016 विचाराधीन होने के कारण मुआवजा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अध्यधीन रहेगा।	
		भैरू लाल पिता नंदा गुर्जर सा	811	0.1900	79,123 प्रति एयर भूमि कीमत 98,904 गुणित 1.25	18,79,176
					तकमीना	मण्डल अनुसार
					योग अ	18,79,176
					100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	18,79,176
					योग अ+ब	3758352
					खसरा नं. 811 में स्थगन/रिट याचिका संख्या 7024/2016 विचाराधीन होने के कारण मुआवजा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अध्यधीन रहेगा।	
		भैरू लाल पिता नंदा गुर्जर सा	812	0.1000	79,123 प्रति एयर भूमि कीमत 98,904 गुणित 1.25	9,89,040
					तकमीना	मण्डल अनुसार
					योग अ	9,89,040
					100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	9,89,040
					योग अ+ब	19,78,080
		सुआ लाल पिता किशन लाला गुर्जर	836	0.1200	79,123 प्रति एयर भूमि कीमत 98,904 गुणित	11,86,848

					1.25	
					तकमीना	मण्डल अनुसार
					योग अ	11,86,848
					100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	11,86,848
					योग अ+ब	**23,73,696**
					खसरा नं. 836 में स्थगन/रिट याचिका संख्या 7834/2016 विचाराधीन होने के कारण मुआवजा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अध्यधीन रहेगा।	
		सुआ लाल पिता किशन लाला गुर्जर	839	0.2000	79,123 प्रति एयर भूमि कीमत 98,904 गुणित 1.25	19,78,080
					तकमीना	मण्डल अनुसार
					योग अ	19,78,080
					100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	19,78,080
					योग अ+ब	**39,56,160**
					खसरा नं. 839 में स्थगन/रिट याचिका संख्या 7834/2016 विचाराधीन होने के कारण मुआवजा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अध्यधीन रहेगा।	
		सुआ लाल पिता किशन लाला गुर्जर	840	0.0600	79,123 प्रति एयर भूमि कीमत 98,904 गुणित 1.25	5,93,424
					तकमीना	मण्डल अनुसार
					योग अ	5,93,424
					100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	5,93,424
					योग अ+ब	**11,86,848**
					खसरा नं. 840 में स्थगन/रिट याचिका संख्या 7834/2016 विचाराधीन होने के कारण मुआवजा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अध्यधीन रहेगा।	
		सुआ लाल पिता किशन लाला गुर्जर	841	0.2350	79,123 प्रति एयर भूमि कीमत 98,904 गुणित 1.25	23,24,244
					तकमीना	मण्डल

						अनुसार
					योग अ	23,24,244
					100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	23,24,244
					योग अ+ब	**46,48,488**
					खसरा नं. 841 में स्थगन/रिट याचिका संख्या 7834/2016 विचाराधीन होने के कारण मुआवजा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अध्यधीन रहेगा।	
		सुआ लाल पिता किशन लाला गुर्जर	844	0.0800	79,123 प्रति एयर भूमि कीमत 98,904 गुणित 1.25	7,91,232
					तकमीना	मण्डल अनुसार
					योग अ	7,91,232
					100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	7,91,232
					योग अ+ब	**15,82,464**
					खसरा नं. 844 में स्थगन/रिट याचिका संख्या 7834/2016 विचाराधीन होने के कारण मुआवजा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अध्यधीन रहेगा।	
		सुनिल चुध वगेरा	852	0.2950	79,123 प्रति एयर भूमि कीमत 98,904 गुणित 1.25	29,17,668
					तकमीना	मण्डल अनुसार
					योग अ	29,17,668
					100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	29,17,668
					योग अ+ब	**58,35,336**
					खसरा नं. 852 में स्थगन/रिट याचिका संख्या 7843/16 विचाराधीन होने के कारण मुआवजा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अध्यधीन रहेगा।	
		सुनिल चुध वगेरा	851	0.2150	79,123 प्रति एयर भूमि कीमत 98,904 गुणित 1.25	21,26,436
					तकमीना	मण्डल अनुसार
					योग अ	21,26,436

22

					100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	21,26,436
					योग अ+ब	42,52,872
					खसरा नं. 851 में स्थगन/रिट याचिका संख्या 7843/16 विचाराधीन होने के कारण मुआवजा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अध्यधीन रहेगा।	
		सुनिल चुध वगेरा	850	0.0100	79,123 प्रति एयर भूमि कीमत 98,904 गुणित 1.25	98,904
					तकमीना	मण्डल अनुसार
					योग अ	98,904
					100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	98,904
					योग अ+ब	1,97,808
					खसरा नं. 850 में स्थगन/रिट याचिका संख्या 7843/16 विचाराधीन होने के कारण मुआवजा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अध्यधीन रहेगा।	

ग्राम देवाली (गोवर्धन विलास तहसील गिर्वा) जिला उदयपुर में कुल रकबा 21.75 हैक्टेयर भूमि अवाप्ताधीन है। अतः सम्पूर्ण भूमि का अवार्ड भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 24(क) के तहत् प्रेषित किया जा रहा है।

खातेदारों को उपयुक्त मुआवजा राशि के अतिरिक्त भूमि की कीमत पर धारा 23(1)ए के नियमानुसार 12 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा राशि धारा 4(1) के अन्तिम नोटिफिकेशन ऑफ पब्लिकेशन से भूमि पर कब्जा लेने या अवार्ड जारी करने तक की दिनांक जो भी पहले से न्यायालय में स्थगन की अवधि यदि कोई हो तो छोड़कर देय होगा साथ ही भू-अर्जन अधिनियम धारा 34 के अनुसार कब्जे की दिनांक से नहीं भुगतान की गयी राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक दर से 1 वर्ष की अवधि तक तथा 1 वर्ष के पश्चात् भुगतान की जाने वाली राशि पर भुगतान की तिथि तक 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा जो कि मुआवजा भुगतान में देरी ना हो उपरोक्तानुसार गणना मण्डल स्तर पर की जा सकेगी।

संरचनाओं (स्थाई व अस्थाई निर्माण) का मूल्यांकन आवासीय अभियन्ता से प्राप्त तकमीना रिपोर्ट जो कि प्रचलित बी.एस.आर. की दरों पर आधारित होती है के अनुसार तय की जाती है जिसकी गणना पृथक से आवासन मण्डल द्वारा की जावेगी। इसी प्रकार भूमि पर स्थित सभी प्रकार के वृक्षों बडे, मध्यम व छोटी श्रेणी के लिये क्रमशः 2500, 1500, 500 प्रति नग के हिसाब से दिया जाना प्रस्तावित है लेकिन यदि खातेदार मुआवजा नहीं लेकर पेड़ ले जाना चाहे तो उन्हें यह विकल्प

दिया जा रहा है। यदि कोई स्ट्रक्चर्स भूमि के कब्जे से पूर्व खातेदार द्वारा हटा दिया जाता है तो सम्बन्धित अभियन्ता की रिपोर्ट के आधार पर राशि वसूल की जावेगी।

मुआवजा राशि वर्तमान जमाबन्दी, मिलान क्षेत्रफल नामान्तरण आदि राजस्व रिकार्ड की प्रमाणित प्रति एवं किसी बैंक में रहन होने की स्थिति में सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण पत्र पेश करने पर [illegible] पहचान उपरान्त दिया जावेगा। किसी हितधारी की मृत्यु होने की दशा में वारिसान में विवाद न होने पर नामान्तरण व हाल जमाबन्दी में अंकित उत्तराधिकारियों को हिस्सेनुसार मुआवजा राशि व विकसित भूखण्ड दिये जावेंगे, किसी सक्षम सिविल/राजस्व/उच्चतर न्यायालय में विवाद विचाराधीन होने पर उक्त अवार्ड सम्बन्धित न्यायालय के आदेशों/निर्णयों के अध्याधीन होगा तथा तदनुसार संशोधित किया जा सकेगा साथ ही अब्दुल रहमान बनाम् सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में पारित निर्णय की पालना में नदी/नाला/पहाड़ इत्यादि में राजस्थान आवासन मण्डल कोई निर्माण कार्य नही कर सकेगा।

अतः भूमि का अवार्ड प्रारूप आज दिनांक 26.08.2019 को तैयार कर संयुक्त शासन सचिव, [illegible]म नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज. जयपुर को अनुमोदनार्थ दोहरी प्रतियों में प्रेषित किया जा रहा है।

(भगवान लाल योगी)
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

(आर. के. मीना)
विशेषाधिकारी
विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

25

राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के पत्र क्रमांक प.7(86)नविवि/3/2007 जयपुर दिनांक 03.09.2019 के द्वारा अवार्ड का अनुमोदन सक्षम स्तर पर लिए गये निर्णयानुसार इस शर्त के साथ किया जाता है कि नया अवाप्ति अधिनियम The Right to Fair Compnsation and Transparency in Land Acqisiton, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले नियम/परिपत्र/आदेश/माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन याचिकाओं के निर्णय के अध्यधीन रहेगा। अतः इसी के अनुरूप उक्त अवार्ड को सरे इजलास घोषित किया जाकर मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से दिनांक 05/09/2019 को जारी किया गया।

भू-अर्जन अधिनियम की धारा 12(1) के अनुसार अवार्ड सम्बन्धित पत्रावलियों में शामिल किया जाकर भू-अर्जन अधिनियम की धारा 12(2) के अन्तर्गत सभी हितधारियों को अवार्ड की प्रति जरिए नोटिस सूचित किया जावें।

(आर.के. मीना)
विशेषाधिकारी
विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

दिनांकः- 5-9-2019

क्रमांकः-ओ.एस.डी./न.वि.वि/19/277

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:

1. संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. तहसीलदार - गिर्वा।
4. सम्बन्धित खातेदार।
5. अवार्ड पत्रावली।

(आर.के. मीना)
विशेषाधिकारी
विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर
92
05/09/2019